बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0–प्र07–एल0पी0जी0(सी0जी0डी0)–02/2025 1505 खाद्य, पटना/दिनांक– 15-7-2025

भारत में तेजी से बढ़ती ऊर्जा की माँग को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के लिए प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किये जाने के फलस्वरूप शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को अधिसूचित किया जाता है।

बिहार, राज्यपाल के आदेश से,

15/07/2025

(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–प्र07–एल0पी0जी0(सी0जी0डी0)–02/2025 1505 खाद्य, पटना/दिनांक– 15-7-2025

प्रतिलिपिः– ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को MS.Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0– सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी।

15/07/2025

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र07–एल0पी0जी0(सी0जी0डी0)–02/2025 1505 खाद्य, पटना/दिनांक– 15-7-2025

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

15/07/2025

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र07–एल0पी0जी0(सी0जी0डी0)–02/2025 1505 खाद्य, पटना/दिनांक– 15-7-2025

प्रतिलिपिः–अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/07/2025

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र07–एल0पी0जी0(सी0जी0डी0)–02/2025 1505 खाद्य, पटना/दिनांक–15-7-2025

प्रतिलिपिः– कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (बिहार एवं झारखण्ड)–सह–राज्य स्तरीय संयोजक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0/महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0/महाप्रबंधक (CGD), गेल (इंडिया) लि0/महाप्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0/महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना/Think Gas Pvt. Ltd. Patna/ Indian Oil-Adani Pvt.Ltd/ उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेसो, अशियान दीघा रोड, पटना–800025 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/07/2025

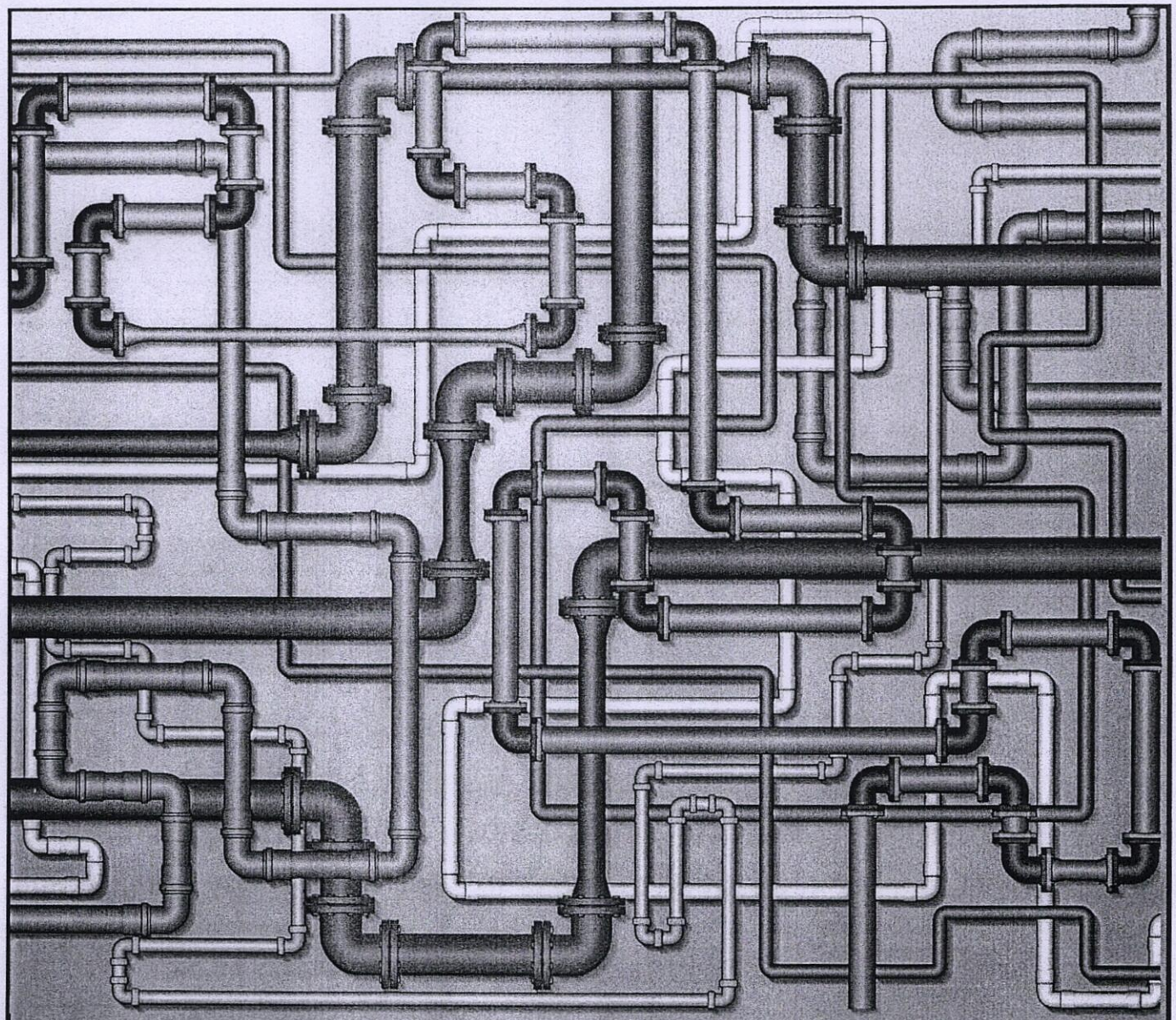
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र07–एल0पी0जी0(सी0जी0डी0)–02/2025 1505 खाद्य, पटना/दिनांक–15-7-25

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/07/2025

सरकार के प्रधान सचिव।



बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025

विषयसूची

1. परिचय

1.1. अवलोकन

1.2. परिभाषाएँ

1.3. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल

1.4. शहरी गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र में नवीनतम विकास।

2. नीति का उद्देश्य

3. राज्य स्तरीय सीजीडी नीति

3.1. नोडल पदाधिकारी

3.2. अनुश्रवण समिति

3.3. सामान्य शर्तें

3.4. राज्य सीजीडी नीति की प्रयोज्यता।

3.5. उपयोग के अधिकार/मार्गाधिकार के लिए आवेदन प्रस्तुतीकरण।

3.6. पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए आवेदन निपटान प्रक्रिया।

3.7. अनापत्ति प्रमाण पत्र

3.8. जिला विनियमन स्टेशनों (डीआरएस), मीटरिंग एवं विनियमन स्टेशनों (एमआरएस), विसंपीडन (डी कंप्रेशन) इकाइयों (डीसीयू), गंधीकरण (ओडोराइजेशन) स्टेशनों, शहरी गैस स्टेशन (सीजीएस) और सीजीडी इकाइयों के कार्यालय स्थान हेतु भूमि आवंटन

3.9. सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि का आवंटन

3.10. पसंदीदा हरित ईंधन के रूप में सीएनजी/एलएनजी को बढ़ावा देना

3.11. शिकायत निवारण तंत्र

3.12. कार्य स्थल पर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था

3.13. सीजीडी अवसंरचना अनुमोदन के लिए एकल–खिड़की (सिंगल विंडो) ऑनलाइन पोर्टल

3.14. नीति पुनरीक्षण

1. परिचय

1.1. अवलोकन

भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और हमारी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की माँग को पूरा करने के लिए, अपने ईंधन मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाना स्थायी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त, प्राकृतिक गैस, एक वैकल्पिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन होने के नाते, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और स्थायी तरीके से हमारी बढ़ती ऊर्जा माँगों को पूरा करने के साथ–साथ पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्रदान करने जा रहा है। खाने बनाने, औद्योगिक उपयोग और परिवहन के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के वैश्विक उपयोग के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार से मिलनेवाले प्रोत्साहन से प्राकृतिक गैस का उपयोग पसंदीदा ईधन के रूप में लगातार बढ़ रही है।

भारत सरकार ने 2030 तक़ देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के माध्यम से विभिन्न सीजीडी इकाइयों को 307 भौगोलिक क्षेत्रों को प्राधिकृत किया है, जो भारत की लगभग 99% जनसंख्या और 99% क्षेत्र आच्छादित करता है।

बिहार सरकार ने घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में सीजीडी अवसंरचना विकास के महत्व को मान्यता दी है। घरेलू परिवारों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना पानी, बिजली आदि जैसी एक अनिवार्य सेवा बन गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सीजीडी सेवाओं को उपयोगिता का दर्जा दिया है। बड़े पैमाने पर जनता को पाइपलाईन प्राकृतिक गैस और परिवहन ईंधन की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सीजीडी नेटवर्क के विकास पर जोर देने हेतु बिहार राज्य में शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना के विकास के लिए अधिकृत इकाई (सीजीडी इकाई) को अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता और सरलीकरण लाना आवश्यक है।

इसके तहत, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाइयों का दायित्व है कि वे घरेलू परिवारों एवं वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में और पाइप लाइन प्राकृतिक गैस (पी0एन0जी0) सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से मोटरगाड़ी (ऑटोमोबाइल) को ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करके शहरी गैस वितरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा लोक उपयोगिता परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.2. परिभाषाएँ

इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"**से अभिप्रेत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

ख) **"बोर्ड"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;

ग) **"विनियम"**से अभिप्रेत है पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम;

घ) **"पीएनजीआरबी"** से अभिप्रेत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;

ङ) **"सीजीडी"** से अभिप्रेत है शहरी गैस वितरण;

च) **"जीए"** से अभिप्रेत है भौगोलिक क्षेत्र;

छ) **"एमडीपीई"** से अभिप्रेत है मध्यम घनत्व पॉलीइथिलीन;

ज) **"प्राधिकृत इकाई"**से अभिप्रेत है बिहार राज्य में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना स्थापित करने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, फर्म, कंपनी या सहकारी सोसाइटी;

झ) **"पैरा"** से अभिप्रेत है इस नीति का पैरा;

(ञ) **"स्थानीय निकाय"** से अभिप्रेत है नगरपालिका क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद् या नगरपालिका बोर्ड, सुसंगत विधि के अधीन घोषित शहरी क्षेत्र (नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) में विकास प्राधिकरण या शहरी सुधार न्यास और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत (शहरी सुधार न्यास या विकास प्राधिकरण की अधिकारिता वाले क्षेत्र को छोड़कर);

ट) **"प्राधिकृत क्षेत्र"** से अभिप्रेत है सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए पीएनजीआरबी विनियमों के तहत प्राधिकृत शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (इसमें इसके पश्चात् सीजीडी नेटवर्क कहा गया है) के लिए विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हो सकती हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके किसी भी संयोजन में, आर्थिक व्यवहार्यता और निकटता के मानदंडों के आधार पर, अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र, इसकी संपूर्णता में या उसके हिस्से में, एक नगर निगम या नगर पालिका के भीतर, केंद्र या राज्य सरकार, गाँव, प्रखंड, तहसील, अनुमंडल या जिला या उसके किसी संयोजन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य शहरी क्षेत्र;

(ठ) **"प्राकृतिक गैस"** से अभिप्रेत है बोर–होल से प्राप्त गैस और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन हैं और इसमें शामिल हैं– (i) तरल अवस्था में गैस, अर्थात्, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस, (ii) संपीडित प्राकृतिक गैस, (iii) सीएनजी या तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित पारदेशीय पाइप लाइनों के माध्यम से आयातित गैस, (iv) प्राकृतिक गैस के रूप में गैस हाइड्रेट से प्राप्त गैस, (v) कोयला सीमों से प्राप्त मीथेन, अर्थात्, कोयला बेड मीथेन, लेकिन इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन के सहयोग से प्राप्त हीलियम शामिल नहीं है;

ङ) **"शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क"** से अभिप्रेत है गैस पाइपलाइनों का एक परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क और एक थोक आपूर्ति उच्च दबाव मुख्य संचरण से मध्यम दबाव वितरण ग्रिड में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए तथा बाद में घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसर तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले सेवा पाइपों तक के लिए तथा विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित सी एन जी स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले संबंधित उपकरण; "सीजीडी नेटवर्क का विकास" से अभिप्रेत है शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, बनाना, संचालित या विस्तारित करना;

ढ) **"पाइप प्राकृतिक गैस"** (इसमें इसके पश्चात् पीएनजी कहा गया है) से अभिप्रेत है घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक खंडों में ग्राहकों द्वारा खपत के लिए सीजीडी नेटवर्क के भीतर पाइपलाइन, सोपानी या किसी अन्य अनुमत साधन/प्रणाली के माध्यम से परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस। इसमें संपीडन से पहले ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन को आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस भी शामिल है;

ण) **"संपीडित प्राकृतिक गैस"** या **"सीएनजी"** से अभिप्रेत है वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस, आमतौर पर गैसीय स्थिति में रहते हुए 200 से 250 बार तक के दबाव से संपीडित होती है;

त) **"सीएनजी स्टेशन"** से अभिप्रेत है फिलिंग स्टेशन जहाँ संपीडित प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए एक या अधिक वितरण इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं;

थ) **"सीजीडी इकाई"** से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, फर्म, कंपनी या सहकारी सोसाइटी, जिसे विक्रेता या वितरक से भिन्न किसी भी नाम से जाना जाता है या संदर्भित किया जाता है, और परिष्करण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, आयात और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के निर्यात में लगे होने या शामिल होने का इरादा रखता है, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाना, या नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना या एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना और संचालन करना शामिल है;

द) **"कार्य योजना"** से अभिप्रेत है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या, सीएनजी स्टेशनों की संख्या और सीजीडी प्राधिकार विनियमों की अनुसूची–घ के अनुसार प्राधिकार पत्र में उल्लेखित इंच–किलोमीटर स्टील पाइपलाइन नेटवर्क;

ध) **सड़कों के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी)** आमतौर पर उस अवधि को संदर्भित करती है जिसके दौरान ठेकेदार या सेवा प्रदाता परियोजना के पूरा होने और सौंपने के बाद सड़क निर्माण में किसी भी दोष या मुद्दों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है;

न) **"उपयोग का अधिकार (आरओयू) या मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)"** से अभिप्रेत है भूमि का वह क्षेत्र या हिस्सा जिसके भीतर पाइपलाइन ऑपरेटर या मालिक ने कानून के सुसंगत उपबंधों के माध्यम से या

भूमि के मालिक या एजेंसी जिसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और संचालित करने के लिए भूमि की अधिकारिता है, के साथ समझौते के अनुसार अधिकार प्राप्त किया है;

प)**''सीजीएस''** से अभिप्रेत है, शहरी गेट स्टेशन;

फ) **''डीआरएस''** से अभिप्रेत है, जिला विनियमन स्टेशन;

ब) **''एमआरएस''** से अभिप्रेत है मीटरिंग और विनियामक स्टेशन;

भ) **''डीसीयू''** से अभिप्रेत है, विसंपीडन इकाई;

(म) **''लाईन विभाग''** लाईन विभाग से अभिप्रेत है कि इस नीति के उद्देश्य हेतु लाईन विभाग, बिहार सरकार के किसी विभाग एजेंसी या प्राधिकार जिसका की योजना निर्धारण, अनुमोदन, सुविधा उपलब्ध कराने या City Gas Distribution (CGD) के कार्य से सीधे तौर पर कार्यात्मक, विनियामक, प्रशासनिक या संचालन की भूमिका से सीधे संबद्ध हो, उसे प्रेषित कर सकता है।

(य) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या उसके तहत बनाई गई नियमावली या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम, नियमावली या विनियमों में, उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

1.3. सिटी गैस वितरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल।

भारत सरकार ने 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए, सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित की है, जो कि सीजीडी क्षेत्र के घरेलू (पाइप प्राकृतिक गैस) और परिवहन (संपीडित प्राकृतिक गैस) खंडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयातित प्राकृतिक गैस (तरलीकृत प्राकृतिक गैस – एलएनजी) की तुलना में सस्ती है और इसे बिना किसी कटौती श्रेणी में रखा गया है। सरकार द्वारा गैस की खपत बढ़ाने के लिए कई अन्य पहल की गई है।

1.4. सीजीडी क्षेत्र में नवीनतम विकास

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी और एनजी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के साथ देश भर में प्राकृतिक गैस की अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीजीडी नेटवर्क (बोली के 12वें दौर तक) के समग्र आच्छादन को 307 भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, जिन्हें विभिन्न सीजीडी इकाइयों को प्राधिकृत किया गया है, जिसमें भारत की लगभग 99% आबादी और 99% क्षेत्र आच्छादित हैं।

बिहार राज्य में, सीजीडी अवसंरचना 38 जिलों में छह सीजीडी इकाइयों के माध्यम से परिचालन में है, जिसमें पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकरण की तारीख से आठ वर्ष के भीतर लगभग 30 लाख पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन और लगभग 650 सीएनजी स्टेशन प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। सीजीडी अवसंरचना के विस्तार

के कारण 10,772 करोड़ रूपया की निवेश क्षमता और लगभग 8,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर है।

पीएनजीआरबी ने पीएनजीआरबी विनियम 2010 (सीजीडी नेटवर्क के लिए अभ्यास कोड (संहिता) और सेवा की गुणवत्ता) के तहत नए पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए सेवा मानदंडों सहित सीजीडी अवसंरचना के विकास से संबंधित सुसंगत विनियमों को अधिसूचित किया है। इन विनियमों के अनुसार, सीजीडी इकाइयाँ मांग के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 90 दिनों के भीतर नए पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

विभिन्न राज्यों में सीजीडी अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने की आवश्यकता है। सामान्यतः, भूमि–स्वामित्व एजेंसियों, नागरिक एजेंसियों, नगर निगमों, जिला मजिस्ट्रेटों (सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु), अग्नि विभागों और अन्य प्राधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियाओं में अक्सर कई विभाग शामिल होते हैं, जिससे परियोजना निष्पादन एवं प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला को समग्र विकास में काफी देरी होती है।

इसे एक अधिदेश के रूप में पहचान की गयी है कि शहर/नगर की उत्कृष्ट योजना में शहरी गैस वितरण नेटवर्क शामिल होना चाहिए और इसमें सीएनजी स्टेशनों का प्रावधान होना चाहिए। नगर योजना विभाग/नगर पालिकाएँ/निगम/नगर और नगर विकास प्राधिकरण/पंचायतें, आदि को भवन की योजना को अनुमोदित करते समय पीएनजी अवसंरचना को शामिल करने के लिए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए।

2. नीति का उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

1. प्रतिबद्ध कार्य योजना को निष्पादित करने के लिए सीजीडी इकाईयों की सहायता करके बिहार राज्य में सीजीडी अवसंरचना का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
2. नीतिगत ढांचा और आवश्यक सहायता तंत्र प्रदान करके सीजीडी इकाईयों के लिए समयबद्ध तरीके से अनुमति/मंजूरी/शूल्क को, मानकीकृत और एक समान बनाना।
3. बिहार में प्राकृतिक गैस को हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देना और औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भारत की प्रतिबद्धताओं में योगदान मिलता हो।
4. परिसंपत्ति की अखंडता को बनाए रखते हुए प्राकृतिक गैस की सुरक्षित संचालन और विश्वसनीय, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सीजीडी संस्थाओं की सहायता करना।

राज्य सरकार, नीति के माध्यम से, सीजीडी नेटवर्क के विकास में तेजी लाने और घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का ईंधन के रूप में और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का परिवहन क्षेत्र के लिए उपयोग को बढ़ाने का प्रयास करेगी एवं मूल्य वर्धित सेवाओं और

अवसरों के लाभों के साथ राज्य भर में सीजीडी अवसंरचना के आच्छादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सीजीडी का लाभ यथाशीघ्र आमजन तक पहुँचे।

3. राज्य स्तरीय सीजीडी नीति

3.1. नोडल पदाधिकारी

3.1.1 **राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी** : राज्य स्तर पर बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नोडल पदाधिकारी होंगे। इस नीति में निर्धारित समय–सीमा से परे अनुमति या अनुमोदन प्राप्त करने में देरी के मामले में, सीजीडी इकाई, मामले को राज्य नोडल पदाधिकारी तक बढ़ा सकेगी।

3.1.2 **जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी** : जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नोडल पदाधिकारी होगा। जिला नोडल पदाधिकारी इस नीति के तहत कर्तव्यों का निर्वहन तेजी से और समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करते हुए करेगा।

3.1.3 **अपर जिला नोडल पदाधिकारी** : संबंधित लाइन विभाग से अपर जिला नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित कार्यपालक अभियंता, सीजीडी इकाई द्वारा प्रस्तुत सभी उपयोग के अधिकार (आरओयू) और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) आवेदनों को प्राप्त करने और स्वीकार करने, संयुक्त सर्वेक्षण कराने, जीर्णोद्धार प्रभार का आंकलन लगाने, या बैंक गारंटी (बीजी) राशि का निर्धारण करने, और पाइपलाइन बिछाने की गतिविधियों के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। जीर्णोद्धार कार्य और गुणवत्ता जाँच के संतोषजनक पूरा होने पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करेगा। पदाधिकारी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, सभी आवेदनों, अनुमोदनों, सर्वेक्षणों और जीर्णोद्धार गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखेगा, और सीजीडी परियोजना के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों को समाधान के लिए जिला नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। शहरी स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उपयोग के अधिकार एवं मार्गाधिकार की अनुमति, आवेदनों के अग्रसारण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी कार्य संबंधित शहरी स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालक पदाधिकारी में निहित होंगे।

3.1.4 **सहकारी समितियों, स्वायत्त निकायों और पीएसयू की संपत्तियों के लिए नोडल पदाधिकारी** : सहकारी निकाय, स्वायत्त निकाय या पीएसयू का जिले में तैनात सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी यथास्थिति उस सहकारी निकाय, स्वायत्त निकाय या पीएसयू से संबंधित संपत्तियों के लिए नोडल पदाधिकारी होगा।

3.1.5 **प्रसार तंत्र** : सभी जिला नोडल पदाधिकारी और अपर जिला नोडल पदाधिकारी अनुमोदन देने के लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपयोग के अधिकार (आरओयू) या

मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए अनुमति से संबंधित देरी के मामलों में, मामले को सबसे पहले समाधान के लिए जिला नोडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा। यदि इस स्तर पर समाधान नहीं होता है, तो इसे समय पर समाधान के लिए राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी तक बढ़ाया जाएगा। हालाँकि, जिला विनियमन स्टेशनों/मीटरिंग और विनियामक स्टेशनों/विसंपीडन इकाइयों/गंधीकरण स्टेशनों/कार्यालय स्थान या संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशनों के लिए भूमि के आवंटन से संबंधित देरी के मामलों में, मुद्दे को सीधे समाधान के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी को बढ़ाया जाएगा।

3.1.6 **प्रौद्योगिकी एकीकरण और अनुश्रवण** : सभी अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुश्रवण के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड लागू किया जाएगा, जो किसी भी देरी की कुशल ट्रैकिंग और स्वचालित प्रसार को सक्षम करेगा। यह प्राधिकार के सभी स्तरों पर समय पर हस्तक्षेप और सुव्यवस्थित संचार सुनिश्चित करेगा।

3.2. अनुश्रवण समिति :

3.2.1 राज्य स्तर पर राज्य शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसी) के साथ प्रत्येक जिले में एक जिला शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (डीसीजीएमसीसी) की स्थापना की जाएगी। ये समितियाँ सभी शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाइयों को शामिल करते हुए मासिक आधार पर अनुमतियों की प्रगति की निगरानी और संबंधित मुद्दों का हल निकालने के लिए उत्तरदायी होंगी।

3.2.2 **जिला शहरी गैस अनुश्रवण एवं सहयोग समिति (डीसीजीएमसीसी)** : डीसीजीएमसीसी में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाएगा, डीसीजीएमसीसी के अध्यक्ष किसी भी विशेषज्ञ को सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत होगा जो विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने या सीजीडी कार्यान्वयन के तकनीकी, कानूनी या परिचालन पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

पदनाम	भूमिका
जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
पुलिस अधीक्षक	सदस्य
उप विकास आयुक्त (डीडीसी)	सदस्य
अपर जिला समाहर्त्ता	सदस्य
नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय	सदस्य
प्रमंडलीय वन पदाधिकारी	सदस्य
कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी)	सदस्य
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी)	सदस्य
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी)	सदस्य
कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य

अपर जिला दण्डाधिकारी, आपदा प्रबंधन	सदस्य
परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI)	सदस्य
प्राधिकृत इकाई का प्रतिनिधि	सदस्य
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	सदस्य सचिव

नोट : अध्यक्ष तकनीकी, नियामक या परिचालन मामलों को पता करने के लिए आवश्यक दो अतिरिक्त विशेषज्ञों या पदाधिकारियों तक सहयोजित करने का अधिकार रखता है।

3.2.3 **राज्य स्तरीय शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसीसी)** : सिटी गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडीएन) को राज्य स्तर पर लागू किये जाने एवं उसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसीसी) जिम्मेदार होंगे एवं उसमे निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

पदनाम	भूमिका
विकास आयुक्त	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	संयोजक
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
क्षेत्रीय प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI)	सदस्य
प्राधिकृत इकाई का प्रतिनिधि	सदस्य

नोट : अध्यक्ष तकनीकी, नियामक या परिचालन मामलों को जानकारी हेतु आवश्यकतानुसार दो अतिरिक्त विशेषज्ञों या पदाधिकारियों तक सहयोजित करने का अधिकार रखता है।

3.2.4 **सीजीडी विकास की राज्य–स्तरीय समीक्षा** : सीजीडी नेटवर्क के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य–स्तरीय बैठक महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार आयोजित की जानी चाहिए।

3.2.5 **सीजीडी विकास की जिला–स्तरीय समीक्षा** :सीजीडी नेटवर्क की त्वरित प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला–स्तरीय बैठक महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार आयोजित की जानी चाहिए।

3.3. सामान्य शर्तें :

3.3.1 **भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति** :सीजीडी इकाई अपर जिला नोडल पदाधिकारी से भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगी, जो सड़क के स्वामित्व के लिए जिम्मेदार संबंधित लाइन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे नहीं होगा। यह प्रावधान सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होता है, जिसमें दोष देयता अवधि के तहत आने वाली सड़कें शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों में, ऐसी अनुमति देने की जिम्मेदारी संबंधित यूएलबी के कार्यपालक पदाधिकारी के पास होगी।

3.3.2 **सड़क जीर्णोद्धार** : पाइपलाइनों को बिछाने/उतारने के बाद, सड़कों के जीर्णोद्धार या तो विभाग द्वारा की जाएगी जो उस सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है (यानी, विभागीय जीर्णोद्धार) या संबंधित सीजीडी इकाई द्वारा स्वयं (स्व–जीर्णोद्धार)। विभागीय जीर्णोद्धार और स्व–जीर्णोद्धार दोनों मामले में जीर्णोद्धार प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट हैं।

3.3.2.1 **विभागीय जीर्णोद्धार** :विभागीय जीर्णोद्धार, संबंधित सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग द्वारा की गई सड़क जीर्णोद्धार को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) हो सकता है। राज्य की सड़कों के लिए, यह पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), या संबंधित नगरपालिका निकाय हो सकता है। विभागीय जीर्णोद्धार के मामलों में, संबंधित विभाग गैस वितरण पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क काटने की अनुमति देने से पहले तालिका–I में विनिर्दिष्ट दरों पर सेवा प्रदाताओं से जीर्णोद्धार प्रभार एकत्र करेगा।

तालिका 1 : सड़कों के विभागीय जीर्णोद्धार की दरें

क्र. सं.	विधि का प्रकार/सतह का प्रकार	सड़क जीर्णोद्धार प्रभार (आईएनआर)/वर्ग मीटर
ओपन कटिंग विधि / एचडीडी विधि / मोलिंग विधि		
1.	बीटी सड़कें– राजमार्ग	4565.00
2.	बीटी सड़कें–ग्रामीण	2077.00
3.	सीसी सड़कें– राजमार्ग	3563.00
4.	सीसी सड़क– नगर पालिका	2468.00
5.	सीसी सड़क–पंचायत	2715.00

6.	फुट पाथ/पेवर ब्लॉक	2775.00
7.	मिट्टी की सड़क/ढलान (शोल्डर)	319.00

टिप्पणी :

- उपरोक्त दरें वर्ष 2025–26 के लिए लागू हैं। इन दरों को हर तीन वर्ष में 10% तक संशोधित किया जाएगा, संशोधित दरें प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद के वर्ष कीपहली अप्रैल से प्रभावी होंगी।
- उपरोक्त फीस जीएसटी और श्रम उपकर को छोड़कर हैं। जीर्णोद्धार प्रभार पर जीएसटी [वर्तमान में लागू दर पर] (समय–समय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन) और जीर्णोद्धार प्रभार के अतिरिक्त 1% की दर से श्रम उपकर का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित सड़क जीर्णोद्धार शूल्क का उपयोग केवल संबंधित लाईन विभाग द्वारा सीजीडी इकाई (सेवा प्रदाता) से जीर्णोद्धार शूल्क वसूलने के उद्देश्य से किया जाएगा। संबंधित लाईन विभाग द्वारा किये गये जीर्णोद्धार कार्य के लिए लागत अनुमान्य और वास्तविक भुगतान पी0डब्ल्यू0डी0 कोड और बिहार वित्तीय नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अक्षरसः अनुपालन किया जाएगा।

3.3.2.2 **स्व–जीर्णोद्धार :** स्व–जीर्णोद्धार उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जहां प्राधिकृत सीजीडी इकाई विहित मानकों और विनिर्देशों के अनुपालन में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क काटने वाले भागों का जीर्णोद्धार स्वतंत्र रूप से करती है। इकाई, जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की पूरी जिम्मेदारी लेती है।

प्राधिकृत सीजीडी इकाई सड़क–काटने वाले भागों की स्व–जीर्णोद्धार का विकल्प केवल अपर जिला नोडल पदाधिकारी के पूर्वानुमति से एवं सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए लागू स्व–जीर्णोद्धार दिशा–निर्देश का पालन करते हुए चुन सकेगी, बशर्ते कि वे सड़क के जीर्णोद्धार के लिए कुल अनुमानित सड़क जीर्णोद्धार लागत के 10% के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करें, जैसा कि तालिका 2 में वर्णित है। पीबीजी को एक वर्ष के लिए वैध रहना चाहिए और संबंधित सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सीजीडी इकाई को सड़क को उसके मूल स्वरूप में जीर्णोद्धार करना होगा और अपनी लागत पर जीर्णोद्धार की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। संतोषजनक जीर्णोद्धार (और पुनः जीणोद्धार, यदि आवश्यक हो) होने पर, पीबीजी को सेवा प्रदाता को लाईन विभाग या ULB द्वारा NOC प्रदान किये जाने के उपरांत 15 दिनों के अंदर सेवा प्रदाता को PBG वापस कर दिया जाएगा।

यदि सीजीडी इकाई विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सड़क केजीर्णोद्धार करने में विफल रहती है या उपयोगिताओं को नुकसान पहुँचाती है और उसे ठीक नहीं करती है, तो संबंधित विभाग जीर्णोद्धार में हुई क्षति या दोषों को दूर करने की लागत को आच्छादित करने के लिए निष्पादन बैंक गारंटी का उपयोग करेगा।

तालिका 2 निष्पादन बैंक गारंटी–स्व जीर्णोद्धार

क्र. सं.	विधि के प्रकार/सतह के प्रकार	निष्पादन बैंक गारंटी शूल्क आई एन आर/वर्ग मी० में
खुली कटाई विधि		
1	बीटी सड़कें– राजमार्ग	456.00
2	बीटी सड़कें–ग्रामीण	208.00
3	सीसी सड़कें– राजमार्ग	356.00
4	सीसी रोड–नगरपालिका	247.00
5	सीसी रोड–पंचायत	271.00
6	फुट पाथ/पेवर ब्लॉक	278.00
7	मिट्टी की सड़क/ढलान	32.00

टिप्पणी :

- उपरोक्त दरें वर्ष 2025–26 के लिए लागू हैं। इन दरों को हर तीन वर्ष में 10% तक संशोधित किया जाएगा, संशोधित दरें प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद के वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होंगी।
- उपरोक्त फीस जीएसटी और श्रम उपकर को छोड़कर हैं। जीर्णोद्धार प्रभार पर जीएसटी [वर्तमान में लागू दर पर] (समय–समय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन) और जीर्णोद्धार प्रभार के अतिरिक्त 1% की दर से श्रम उपकर का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए।

3.3.3 **जीर्णोद्धार के लिए तकनीकी विनिर्देश** : सड़क और पुल कार्यों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) मानकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के विनिर्देश खुदाई और जीर्णोद्धार विधि के तहत किए गए सड़क जीर्णोद्धार के लिए मूलभूत दिशानिर्देशों के रूप में काम करेंगे। आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सड़क सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीजीडी इकाई द्वारा संबंधित लाईन विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश अनुपालन किया जाएगा।

3.3.4 **पाइपलाईन बिछाने हेतु खुदाई जीर्णोद्धार** : भूमिगत पाईप लाईन बिछाने की अनुमति विशेष रूप से खुदाई और जीर्णोद्धार विधि के तहत दी जाएगी। विभागीय जीर्णोद्धार के मामले में, सीजीडी इकाई तालिका 1 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार संबंधित लाइन विभाग को सड़क जीर्णोद्धार प्रभार का

भुगतान करेगी। स्व–जीर्णोद्धार के लिए, सीजीडी इकाई कुल सड़क जीर्णोद्धार लागत के 10% की राशि की निष्पादन बैंक गारंटी संबंधित लाइन विभाग को प्रस्तुत करेगी, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है। स्व–जीर्णोद्धार के मामले में प्रतिभूति जमा सीजीडी इकाई द्वारा संतोषजनक जीर्णोद्धार की पुष्टि करते हुए, लाइन विभाग के संबंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

अनुमतियाँ निम्नलिखित में वर्गीकृत की जाएंगी :

3.3.4.1 **विभागीय जीर्णोद्धार :**

- सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- सड़कों के विभागीय जीर्णोद्धार की लागत की गणना तालिका 1 में यथा विनिर्दिष्ट ''सड़कों के विभागीय जीर्णोद्धार के लिए दर'' के आधार पर की जाएगी, और सीजीडी इकाई भुगतान की विहित रीति के माध्यम से अग्रिम राशि जमा करेगी।

3.3.4.2 **स्व–जीर्णोद्धार:**

- जीर्णोद्धार कार्य सीजीडी इकाई द्वारा ही किया जाएगा।
- तालिका 2 में उल्लेखित कुल सड़क जीर्णोद्धार लागत के 10% की राशि की निष्पादन बैंक गारंटी, संबद्ध सीजीडी इकाई द्वारा संबंधित लाइन विभाग को देय होगी। निष्पादन बैंक गारंटी अधिमानतः संबंधित लाइन विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले प्रस्तुत की जाएगी।
- सीजीडी इकाई द्वारा सड़क जीर्णोद्धार कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की पुष्टि करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अपर जिला नोडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी, शहरी क्षेत्रीय निकाय द्वारा जारी किये जाने के 15 दिनों के अंदर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) विमुक्त कर दिया जाएगा।

  महत्वपूर्ण सड़कों के लिए, विभागीय जीर्णोद्धार लागू शर्तों के अध्यधीन पसंदीदा विकल्प होगा। जीर्णोद्धार शूल्क के लिए भुगतान का तरीका संबंधित प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।

3.3.5 उपयोगिता क्षति से बचने के लिए भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार सभी विभागों के साथ 'कॉल बिफोर यू डिग' एप का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। 'कॉल बिफोर यू डिग' एप से एसएमएस/ईमेल अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्खननकर्त्ताओं और परिसंपत्ति मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा और इसमें क्लिक–टू–कॉल विकल्प होंगे। इससे योजनाबद्ध उत्खनन को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी खुदाई से पहले संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया गया है।

3.3.6 **भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के तरीके** : भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए खुली खाई और खाई रहित विधि की अनुमति है। हालांकि, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई/क्षति को कम करने के लिए जहां भी संभव हो, इकाई द्वारा क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी)/मैनुअल मिलिंग विधि पर विचार किया जाएगा।

3.3.7 **सड़क क्षति की मरम्मति और निष्पादन बैंक गारंटी वैधता** : भूमिगत गैस पाइपलाइनों को बिछाने के दौरान सड़कों को नुकसान और गड्ढों को भरने का कार्य संबंधित सीजीडी इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर की जाएगी। संतोषजनक जीर्णोद्धार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक पूर्णता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरांत सड़क क्षति की मरम्मति 12 महीने की अवधि तक मान्य होगा। निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता सड़क क्षति की मरम्मति की अवधि के उपरांत 28 दिनों तक मान्य रहेंगी।

3.3.8 संबंधित जिले के क्षेत्राधिकार के भीतर एक बार में पूरे प्रस्तावित पाइपलाइन नेटवर्क के लिए पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, सीजीडी इकाई को किसी भी समय कुल अनुमत लंबाई के 20% या 5 किलोमीटर, जो भी कम हो, से अधिक की खुदाई करने की अनुमति नहीं है। सीजीडी इकाई को एक चरणबद्ध कार्य योजना, संबंधित प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसकी एक प्रति जिला नोडल पदाधिकारी को देनी चाहिए। प्रारंभिक चरण के संतोषजनक समापन पर, संबंधित सीजीडी इकाई बाद के चरण के लिए उत्खनन के साथ आगे बढ़ सकेगी।

3.3.9 सीजीडी इकाई जमा किये गए आवेदन के अनुसार किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए वापसी योग्य निष्पादन बैंक गारंटी अग्रिम रूप से जमा करेगी।

3.3.10 सड़कों के किनारे और उसके पार सीजीडी पाइपलाइन बिछाना : किसी भी सड़क के किनारे पाइपलाइन बिछाने के लिए, प्राधिकृत सेवा प्रदाता कंपनी खुली कट विधि या मोलिंग विधि या क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) विधि का विकल्प चुन सकेगी। हालांकि, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख नगरपालिका सड़कों को पार करने के लिए आम तौर पर खुली कट विधि की अनुमति नहीं दी जाएगी; और वहाँ केवल क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) विधि या मोलिंग विधि का ही पालन किया जाएगा। राज्य सरकार के विभाग/एजेंसी के संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुमति से केवल छोटी ग्रामीण सड़कों के मामले में क्रॉसिंग के लिए खुली कट विधि की अनुमति दी जा सकेगी।

3.3.11 मानसून के दौरान मोलिंग/एचडीडी (क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग)/ट्रेंचलेस विधि के माध्यम से गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक सभी सुरक्षा और संरक्षा उपाय करते हुए और यदि कोई नुकसान होता हो तो उसके तत्काल जीर्णोद्धार की योजना बनाए।

3.3.12 किसी भी हिस्से में सड़कों के नीचे बिछाई जाने वाली गैस पाइपलाइनों की संख्या, जिसके लिए अनुमति दी गई है, सीजीडी इकाई की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी। संबंधित लाइन विभाग (यथा आरसीडी/आरडब्ल्यूडी) और सीजीडी इकाई मौजूदा अवसंरचना में व्यवधानों को कम करते हुए पाईप लाईन अधिष्ठापन के समय तकनीकी और नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे।

3.3.13 सीजीडी इकाई गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान भूमिगत उपयोगिताओं को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतेगी। सीजीडी इकाई की लापरवाही के कारण हुई किसी भी नुकसान की स्थिति में, यह पूरी तरह से अपनी लागत पर नुकसान को ठीक करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा, यदि उपयोगिता स्थानों की गलत पहचान के कारण किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपयोगिता को कोई नुकसान होता है, तो सुधार की जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी। इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए जिला नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा।

3.3.14 पाइपलाइन स्थापन के लिए कोई सड़क खुदाई शुरू करने से पहले, सीजीडी इकाई उचित स्थल पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, दूरसंचार लाइनों, विद्युत आपूर्ति और अन्य पाइपलाइनों सहित मौजूदा भूमिगत उपयोगिताओं और प्रतिष्ठानों का मार्ग मानचित्र और सुसंगत विवरण प्राप्त करेगी। सुचारू समन्वय और देरी को कम करने के लिए, प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में मौजूदा उपयोगिताओं के साथ प्रत्येक एजेंसी, विभाग, प्राधिकरण या इकाई एक ही संपर्क बिंदु (एसपीओसी) को नामित करेगी, जिसके साथ सीजीडी इकाई भूमिगत उपयोगिताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीधे समन्वय करेगी।

3.3.15 सीजीडी इकाई खुदाई करने से पहले ऐसी भूमिगत उपयोगिताओं से संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण को सूचित करने के लिए भी जिम्मेदार होगी।

3.3.16 मौजूदा भूमिगत उपयोगिता और गैस पाइपलाइन को स्थानांतरित करने की लागत, जहां भी आवश्यक हो, अनुरोध करने वाली एजेंसी/प्राधिकरण/सीजीडी इकाई द्वारा वहन की जाएगी।

3.3.17 प्रत्येक भूमि या सड़क के स्वामित्व वाले विभाग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी सीजीडी से संबंधित कार्यों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु एक अपर जिला नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेगा, जो कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे का नहीं होगा। यह पदाधिकारी सीजीडी गतिविधियों के लिए समन्वय, अनुमोदन और निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

3.3.18 सड़को में सुधार/चौड़ीकरण या फलाईओवर/पुल के निर्माण की स्थिति में सड़को के स्वामित्व से संबंधित प्राधिकार विस्थापन से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन जिला स्तर के अनुश्रवण समिति को समर्पित करेगा। समिति की अनुशंसा के उपरांत संबंधित प्राधिकार विस्थापन संबंधी सूचना जारी

करेगा और विस्थापन तथा पुर्नस्थापन संबंधी सभी खर्चों का वहन सी0जी0डी0 इकाई द्वारा वहन किया जाएगा।

3.3.19 सीजीडी इकाई राज्य सरकार और सभी संबंधित हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित करेगी।

3.4. राज्य सीजीडी नीति की प्रयोज्यता

3.4.1 यह नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, राज्य प्राधिकरणों, सभी भूमि/सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों पर लागू होगी, जिनमें नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड, औद्योगिक संवर्धन निकाय, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), बिहार आवास बोर्ड और नगर विकास प्राधिकरण शामिल हैं, जो सुसंगत कानून के तहत घोषित नगर क्षेत्र में है (नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर), और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत (नगर, सुधार ट्रस्ट या विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के तहत आनेवाले क्षेत्र को छोड़कर), जल संसाधन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और सभी लागू निकाय जो सीजीडी नेटवर्क में शामिल हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं है।

3.4.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का कोई भी प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी उपयोग का अधिकार (आरओयू) सुविधा/अनुमति मांगने/प्राप्त करने के लिए पात्र है। हालांकि, इस प्रकार दी गई अनुमति की प्रवर्तनीयता उस अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्तिकरार में निहित/परिभाषित सेवा के प्रावधानों/दायरे की सीमा तक और उस उद्देश्य के लिए सीमित होगी जिसके लिए इसे समय–समय पर भारत सरकार या किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन स्वीकृत किया गया है।

3.4.3 चाहे विषयवस्तु के आधार पर या आशय के आधार पर उपयोग के अधिकार की सुविधा/अनुमति प्रदान करने का उद्देश्य अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति के दायरे को बढ़ाना नहीं है और ऐसी आरओयू अनुमतियाँ केवल सक्षम करने वाली प्रकृति की होंगी।

3.4.4 जब कभी अपेक्षित हो राज्य सरकार के अतिरिक्त विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक अनुज्ञप्तिधारी की होगी।

3.4.5 यदि पाईप लाईन वन क्षेत्र से होकर बिछाई जाती है, तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी की पूर्ण जवाबदेही होगी कि वह वन विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, भले ही सड़क राज्य सरकार के विभागों/स्थानीय निकायों/राज्य प्राधिकरणों की है। ऐसे मामलों में वन भूमि के उपयोग से संबंधित भारत सरकार के प्रचलित दिशा–निर्देश एवं नियमों लागू होंगे।

3.5. उपयोग के अधिकार/मार्गाधिकार के लिए आवेदन प्रस्तुत करना

3.5.1 भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के लिए आवेदन संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी को अधिमानतः पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), या संबंधित सड़क के संचालन, रखरखाव और विकास के लिए उत्तरदायी कोई अन्य उपयुक्त विभाग के कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) कीअधिकारिता वाले क्षेत्रों में, संबंधित यूएलबी के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

3.5.2 **सीजीडी पाइपलाइन बिछाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकताएँ** : आवेदन निर्धारित प्रारूप (सामान्य आवेदन पत्र या सीएएफ) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें शामिल होंगे :

क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति।

ख) स्थानीय स्तर पर एकमार्ग योजना और "शेपफाइल फार्मेट (.Shp)" या "कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल)" फार्मेट में गूगल अर्थ/ऑटोकैड मानचित्र। मानचित्र में स्थान, मार्ग और भूमि/संपत्ति के स्वामित्व का विवरण होना चाहिए जहाँ पाइपलाइन बिछाई जानी है।

ग) पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित पद्धति के साथ–साथ क्षेत्रवार और समयवार अनुसूची विनिर्दिष्ट करने वाली विस्तृत कार्य योजना (उदाहरण के लिए, क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी), खुली खाई खोदना या दोनों)।

घ) खाई के आयामों (लंबाई, चौड़ाई, गहराई), पाइपलाइन की गहराई और अन्य प्रासंगिक विनिर्देशों के बारे में जानकारी।

ङ) सीजीडी इकाई सभी प्रपत्रों, विवरणों और दस्तावेजों के साथ आवेदन की एक सॉफ्ट प्रति भी प्रस्तुत करेगी।

3.5.3 **वचनबंध : आवेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुष्टि करने वाले वचनबंध**

i. सड़कों, वाहनों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान सभी निवारक उपाय किए जाएंगे।

ii. मरम्मती, लागत और मुआवजे सहित पाइपलाइन परिचालन के दौरान किसी भी खतरे, क्षति या रिसाव के लिए पूर्ण दायित्व।

iii. कार्य के निष्पादन के बाद सड़क और आसपास के क्षेत्रों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने की प्रतिबद्धता।

iv. वर्त्तमान पुलियों और पुलों में उपयोगिता सेवा का प्रावधान तबतक नहीं किया जा सकेगा जबतक की उसमें पूर्व से डक्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि ऐसा प्रावधान पूर्व में न किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी इसके लिए अलग से जल निकासी या नदियों को पार करने का प्रावधान अपने खर्चे पर करेगा। ऐसी व्यवस्था रेलिंग या पुलों की संरचना की दीवार (Parapets) पर की जा सकेगी, इसके लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकार से अनुमति लेगा।

v. यदि परियोजना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करती है तो सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी या अनुमति प्राप्त करने का आश्वासन।

vi. अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करना।

vii. **शास्ति स्वीकृति** :वचनबंधों का पालन करने में विफलता पर शास्ति लगेगा, जिसमें कार्य निलंबन, अनुमतियों का प्रतिसंहरण और निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती शामिल हो सकती है।

3.5.4 **आवेदन प्रसंस्करण समयसीमा** : नामित लाइन विभाग का नोडल पदाधिकारी, जो कार्यपालक अभियंता और शहरी स्थानीय निकायों के मामले में कार्यकारी पदाधिकारी के पद से नीचे का नहीं हो, अपर जिला नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगे और यह सुनिश्चित करेगे कि आवेदन 15 दिनों के भीतर और किसी भी परिस्थिति में सीजीडी इकाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के बाद भी प्रक्रिया नहीं किया गया है। यदि इस 30 दिन की अवधि के भीतर न तो अनुमति दी जाती है और न ही स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है, तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को आगे की समीक्षा और विचार के लिए अध्यक्ष–सह–जिला नोडल पदाधिकारी को मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

3.5.5 **लंबित आवेदनों की समीक्षा** : जिला मजिस्ट्रेट बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए मासिक आधार पर सभी लंबित आवेदनों की समीक्षा करेगें।

3.5.6 **अनुपालन** : प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अनुपालन सहित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमावली और विनियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

3.5.7 **स्वामित्व** : सीजीडी इकाई के पास लागू कानूनों के अनुसार परिचालन उद्देश्यों के लिए केवल उपयोगकर्ता का अधिकार (आरओयू) होगा। सड़क या भूमि का स्वामित्व जहाँ पाइपलाइन स्थापित की गई है, संबंधित प्राधिकार के पास रहेगा।

3.5.8 खुदाई और आरओयू अनुमति देने पर, संबंधित लाइन विभाग (जैसे आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचईडी, आदि) के अपर जिला नोडल पदाधिकारी आवेदक सीजीडी इकाई को सूचित करेगें और जिला

मजिस्ट्रेट को एक प्रति प्रेषित करेगें। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों में अन्य एजेंसियों को आरओयू अनुमति देते समय जहां गैस पाइपलाइन पहले से मौजूद है, अपर जिला नोडल पदाधिकारी क्षेत्र में मौजूदा पाइपलाइन के साथ सीजीडी इकाई को सूचित करेगें और संबंधित सीजीडी इकाई को आरओयू अनुमति की एक प्रति प्रेषित करेगें।

3.5.9 **आवधिक नीति समीक्षा** : हितधारक प्रतिपुष्टि, प्रौद्योगिकी में प्रगति और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए राज्य शहरी गैस अनुश्रवण समिति द्वारा इस नीति की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

3.6. पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया

3.6.1 सीजीडी इकाई संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी को या शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के मामले में, कार्यपालक पदाधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट की अग्रिम प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी। आवेदन प्राप्त होने पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी या संबंधित यूएलबी का कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा लागू हो, एक व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और 15 दिनों के भीतर सीजीडी इकाई के नामित प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त निरीक्षण करेगें। निरीक्षण के बाद, तालिका 1 या तालिका 2 के अनुसार विभागीय जीर्णोद्धार प्रभार या निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने, प्रावधान के अनुरूप सभी आवश्यक दस्तावेजों जमा करने और इस नीति में निर्धारित अन्य प्रासंगिक शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन सीजीडी इकाई को आवश्यक अनुमति दी जा सकेगी।

3.6.2 **व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना और संसूचना** : संबंधित लाइन विभाग, जिसके नियंत्रण में प्रस्तावित सड़क है, पंद्रह (15) कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति के लिए अनुरोध करने वाली सीजीडी इकाई के साथ निम्नलिखित तथ्यों को सूचित करेगें :

i. प्रस्तावित जीर्णोद्धार का प्रकार, क्या संबंधित विभाग द्वारा या अनुरोध करने वाली सीजीडी इकाई द्वारा किया जाना है।

ii. पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित विधि चाहे खुली, कटिंग विधि, या क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) और मोलिंग विधि।

iii. प्रस्तावित जीर्णोद्धार शूल्क या निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के संबंध में सिफारिश।

इस संसूचना की प्राप्ति पर संबंधित सीजीडी इकाई सात (7) दिनों के भीतर आवश्यक पीबीजी या विभागीय जीर्णोद्धार प्रभार, जैसा लागू हो, जमा करेगी।

3.6.3 विहित जीर्णोद्धार प्रभार और/या पीबीजी प्रस्तुत करने और अनुरोध करने वाली सीजीडी इकाई द्वारा व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट की स्वीकृति पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी सीजीडी इकाई के आवेदन प्रस्तुत करने के एक (1) महीने के भीतर गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देगें।

3.6.4 **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या जीर्णोद्धार प्रभार प्रस्तुत करना** : आवेदक आवश्यक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या जीर्णोद्धार प्रभार, जैसा लागू हो, संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में सड़क स्थित है को प्रस्तुत करेगे। आवेदक जिला नोडल पदाधिकारी को प्रस्तुत करने की रसीद की एक प्रति भी प्रदान करेगें।

3.6.5 अपर जिला नोडल पदाधिकारी, जो संबंधित लाइन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे का नहीं हो, या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा लागू हो,निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या जीर्णोद्धार प्रभार के भुगतान एवं व्यवहार्यता प्रतिवेदन की स्वीकार्यता पर संबंधित अपर जिला नोडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देगें।

3.6.6 यदि प्रारंभिक आवेदन जमा करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपर जिला नोडल पदाधिकारी या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आरओयू/आरओडब्ल्यू की अनुमति नहीं दी जाती है, तो सीजीडी इकाई जिला नोडल पदाधिकारी को शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध करते हुए एक औपचारिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करके मामले को बढ़ा सकेगी, जिसमें स्वीकृति का अनुरोध किया जा सकेगा। सीजीडी इकाई विहित प्रक्रियाओं के अनुसार जिला नोडल पदाधिकारी–सह–जिला मजिस्ट्रेट से स्पष्ट प्राधिकार प्राप्त होने तक किसी भी पाइपलाइन बिछाने की गतिविधियों के साथ आगे नहीं बढ़ेगी।

3.7. अनापत्ति प्रमाणपत्र :

3.7.1 सीजीडी इकाई द्वारा स्व–जीर्णोद्धार की स्थिति में, संबंधित लाइन विभाग का अपर जिला नोडल पदाधिकारी या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यपालक पदाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण और विहित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करेगा, जो सहायक अभियंता के पद से नीचे का नहीं होगा। तकनीकी विशेषज्ञ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और संतोषजनक जीर्णोद्धार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट और एनओसी के आधार पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी या यूएलबी को कार्यकारी पदाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सीजीडी इकाई को 15 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

3.7.2 मुख्यमार्गीय, उप–मुख्यमार्गीय और अन्य उच्च यातायात सड़कों के लिए, उत्खनन हेतु जिम्मेदार इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अस्थायी जीर्णोद्धार के उपाय, जिसमें बैकफिलिंग, संघनन और अस्थायी सड़क सतह का अनुप्रयोग शामिल है, उत्खनन के 24 से 48 घंटे के भीतर पूरा किया जाय। इन सड़कों के लिए स्थायी जीर्णोद्धार को प्राथमिकता के रूप में माना जाएगा और इसे सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

3.7.3 इकाई, पाइपलाइन बिछाने और बिछाई गई पाइपलाइन के हिस्से पर जीर्णोद्धार के बाद जीर्णोद्धार के निरीक्षण और एनओसी जारी करने के लिए नामित पदाधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगी।

3.7.4 नामित पदाधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी सीजीडी इकाई से लिखित सूचना के 07 दिनों के भीतर जीर्णोद्धार के काम का निरीक्षण करेगा और 07 (सात) दिनों के भीतर, सुधार यदि कोई हो, के लिए सलाह देगा।

3.7.5 सीजीडी इकाई निर्देश या टिप्पणियों के अनुसार जीर्णोद्धार को सुधारेगी और 10 दिनों के भीतर नामित पदाधिकारी को सूचित करेगी।

3.7.6 इसके बाद नामित पदाधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी फिर से काम का निरीक्षण करेगें और 07 (सात) दिनों के भीतर जीर्णोद्धार के लिए एनओसी जारी करेगें।

3.7.7 यदि इकाई द्वारा संतोषजनक जीर्णोद्धार और निरीक्षण की सूचना के 07 दिनों के भीतर नामित पदाधिकारी द्वारा फिर से निरीक्षण करने के बाद भी नामित पदाधिकारी द्वारा एवं बिना किसी भी टिप्पणी के बाद भी एनओसी नहीं दी जाती है, तो इकाई, जिला नोडल पदाधिकारी को मामले को प्रस्तुत कर सकेगी।

3.7.8 किसी प्राधिकार के क्षेत्राधिकार के तहत पूरे क्षेत्र के लिए एनओसी जारी करने के बाद, संबंधित प्राधिकार पीबीजी को वापस कर देगा या संबंधित सी0जी0डी0 इकाई के अनुरोध पर बाद की अनुमति के लिए पीबीजी जमा के रूप में रख सकेगा एवं बाद की अनुमति हेतु पीबीजी माना जा सकेगा।

3.7.9 नामित प्राधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एक विनिर्दिष्ट अवधि (जैसे, एक वर्ष) के लिए मान्य रहेगी जब तक कि जीर्णोद्धारित क्षेत्र में कोई पर्याप्त उपांतरण या क्षति नहीं देखी जाय या रिपोर्ट न की जाय।

3.7.10 मौजूदा सीएनजी स्टेशन से समीप सीएनजी उपकरण की स्थापन की सुविधा के लिए सीएनजी स्टेशनों के मौजूदा भूखंड के आकार में मामूली परिवर्तन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट सम्यक् तत्परता के बाद सीधे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगा। चूंकि इन खुदरा दुकानों या सीएनजी स्टेशनों को पहले ही सुसंगत पदाधिकारियों से मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए न्यूनतम अतिरिक्त जाँच के साथ एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।

3.7.11 **उपयोग के अधिकार/मार्गाधिकार के प्रसंस्करण और अनुमोदन में देरी के लिए प्रेषण तंत्र** : यह प्रेषण तंत्र शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाइयों के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमतियों के प्रसंस्करण और अनुमोदन में देरी का हल निकालने की

प्रक्रिया को रेखांकित करता है। यह तंत्र एक संरचित प्रेषण मार्ग के साथ प्रत्येक चरण में समय पर अनुमोदन और स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

चरण	उत्तरदायी प्राधिकारी	समय सीमा	कार्रवाई	अगला स्तर	समाधान समय सीमा
आवेदन जमा करना	सीजीडी इकाई अपर जिला नोडल पदाधिकारी	0 दिन	आरओयू/आरओडब्ल्यू आवेदन प्रस्तुत करना	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त सर्वेक्षण	संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी/सहायक अभियंता और सीजीडी इकाई के प्रतिनिधि	आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर	चिह्नित सड़क का संयुक्त सर्वेक्षण करना	लागू नहीं	लागू नहीं
सड़क जीर्णोद्धार प्रभार का आकलन	अपर जिला नोडल पदाधिकारी	आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर	जीर्णोद्धार के प्रकार के आधार पर सड़क जीर्णोद्धार प्रभार का आकलन करना और सीजीडी इकाई को अधिसूचित करना	लागू नहीं	लागू नहीं
स्व–जीर्णोद्धार के मामले में विभागीय जीर्णोद्धार प्रभार या पीबीजी जमा करना	सीजीडी इकाई	अपर जिला नोडल पदाधिकारी की अधिसूचना के अनुसार	सड़क जीर्णोद्धार प्रभार या निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करना	लागू नहीं	लागू नहीं
पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन	अपर जिला नोडल पदाधिकारी	आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर	नीति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन प्रदान करना	जिला नोडल पदाधिकारी	मामला प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर

मामला जिला नोडल पदाधिकारी को भेजना	जिला नोडल पदाधिकारी	यदि अनुमोदन में 30 दिनों से अधिक की देरी होती है।	लंबित आवेदन की समीक्षा करना और अनुमोदन करनां	राज्य नोडल पदाधिकारी	मामला प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर
मामला राज्य नोडल पदाधिकारी को भेजना	राज्य नोडल पदाधिकारी	यदि मुद्दा 40 दिनों से अधिक तक समाधान नहीं होता हो।	लंबित मुद्दे की अंतिम समीक्षा कर समाधान या प्रतिक्रिया देना।	लागू नहीं	लागू नहीं

3.8. जिला विनियमन स्टेशनों (डीआरएस), मीटरिंग और विनियमन स्टेशनों (एमआरएस), विसंपीडित इकाइयों (डीसीयू), गंधीकरण स्टेशनों, शहरी गैस स्टेशन (सीजीएस) और सीजीडी इकाइयोंहेतु कार्यालय स्थलों के लिए भूमि आवंटन

3.8.1 **आवंटन के लिए विचार की गई भूमि का प्रकार :**

(i) पुरानी परती

(ii) गैर मज़रुआ (आम, खास और मालिक)

(iii) शैक्षणिक संस्थान

(iv) अस्पताल परिसर

(v) नगर निगम और नगर परिषद

(vi) खाता

(vii) पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(viii) ग्राम पंचायत

(ix) प्रखण्ड/अंचल/थाना/कारागार परिसर

(x) परिवहन विभाग.

(xi) औद्योगिक प्राधिकरण

(xii) विद्युत विभाग

(xiii) राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी प्रकार की भूमि

3.8.2 **भूमि का सीमांकन** : राज्य सरकार और/या प्राधिकरण या संबंधित लाइन विभाग को किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए किसी भी क्षेत्र या उसके हिस्से को आरक्षित घोषित करने का अधिकार होगा और उस स्थिति में, वह क्षेत्र या उसका हिस्सा केवल उस विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए आवंटित किया जाएगा जब तक कि सरकारी प्राधिकार द्वारा उसे परिवर्तित या अनारक्षित न कर दिया जाय।

भूमि के चिन्हिकरण एवं प्रस्ताव की जिम्मेदारी CGD इकाईयों की होगी, हालांकि CGD इकाई भूमि की चिन्हिकरण करने में जिला प्रशासन की मदद ले सकेगा।

3.8.3 **भूमि आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकार** : जिला विनियमन स्टेशन (डी आर एस), मीटर विनियमन स्टेशन (एम आर एस) एवं संपीडित इकाई (डी सी यू), गंधीकरण स्टेशन और सीजीडी इकाई हेतु कार्यालय स्थल की स्थापना के लिए सीजीडी इकाइयों को भूमि के आवंटन हेतु जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होगा। यह आवंटन भूमि के स्वामित्व वाले विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के अध्यधीन होगा। उक्त भूमि आवंटन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी से सम्पर्क कर वांछित सहमति के उपरान्त आवंटित किये जायेंगे। जिला दण्डाधिकारी प्रत्येक ईकाई के लिए अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने हेतु प्राधिकृत होगें।

3.8.4 **आवेदन की प्रक्रिया** : सीजीडी इकाई जिला नोडल पदाधिकारी को दबाव विनियमन स्टेशनों की स्थापना के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी जिसकी अग्रिम प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को दी जाएगी। जिसमें जिला विनियमन स्टेशन (डीआरएस) (लगभग10 मीटर x 8 मीटर), मीटर रेगुलेटिंग स्टेशन (एमआरएस), विसंपीडित इकाई (डीसीयू) (लगभग 13 मीटरx 18 मीटर), गंधीकरण स्टेशन (20 मीटरx 18 मीटर), सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) और, सीजीडी इकाइयों के लिए एलएनजी/एल–सीएनजी हब/सीबीजी (मानदंड–अपेक्षित क्षेत्र के अनुसार) शामिल हैं किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है। आवेदन में विस्तृत डिजाइन, सुरक्षा नयाचार, तकनीकी विनिर्देश, स्थापना के लिए अनुमानित समयसीमा, प्रस्तावित स्थान को चिह्नित करने वाला मानचित्र और पीएनजीआरबी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति अवश्य शामिल होनी चाहिए।

3.8.5 **दबाव विनियमन स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुमति और पट्टा:** पाइपलाइन के साथ रणनीतिक स्थानों पर पाईप लाईन के साथ दबाव विनियमन स्टेशन जिनमें जिला विनियमन स्टेशन (डीआरएम), मीटरिंग विनियमन स्टेशन (एमआरएस), या विसंपीडित इकाइयाँ (डीसीयू), गंधीकरण स्टेशन शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; की स्थापना की अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों में सड़क के किनारे के क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, उपयोगिता क्षेत्र, सरकारी परिसर या अन्य उपयुक्त स्थल शामिल हो सकेंगे जैसा कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाई के परामर्श से पहचान किया जाए। इन स्थलों का चयन सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता

देगा, पहुंच सुनिश्चित करेगा, और मौजूदा अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान को कम करेगा।

शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अधिदेश के अनुसार जिला विनियमन स्टेशनों (डीआरएस) के पास गंधीकरण स्टेशनों की स्थापना के लिए 20 मीटर X18 मीटर भूमि निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक डीआरएस के लिए एक गंधीकरण पंप की आवश्यकता के बिना, परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर चयनित डीआरएस स्थानों पर गंधीकरण पंप स्थापित किए जाएगे। इन गंधीकरण स्टेशनों के लिए भूमि के आवंटन का समन्वय जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा भूमि के लिए जिम्मेदार संबंधित लाइन विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

प्रारंभिक पट्टा अवधि 25 वर्ष होगी, जिसमें आवश्यक अनुमोदन के अधीन, उस क्षेत्र की आवासीय श्रेणी की भूमि के न्यूनतम मूल्यांकन रजिस्टर (एमवीआर) के 5% वार्षिक पट्टा पर किराया निर्धारित किया जाएगा। पट्टा किराया भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल को या उससे पहले या अनुबंध की समाप्ति से पहले, जो भी पूर्व हो, वार्षिक रूप से किया जाएगा। पट्टे की अवधि को सरकार के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक पट्टा किराया शूल्क आवासीय श्रेणी की भूमि के प्रचलित एमवीआर के आधार पर हर तीन साल में पुनरीक्षण के अधीन होगा। जिला मजिस्ट्रेट संबंधित सीजीडी इकाई से पट्टा किराया भुगतान प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार नामित प्राधिकारी होगा।

3.8.6 **कार्य स्थल के लिए सरकारी भूमि का आवंटन** : उपलब्धता के अधीन, कार्यालय स्थल की स्थापना के लिए तेल कंपनियों/सीजीडी इकाई को सरकारी भूमि आवंटित की जा सकेगी। तेल कंपनियाँ/सीजीडी इकाई आवंटित भूमि से जुड़ी सभी लागतों का वहन करेगी। सरकारी भूमि पर विकसित किसी भी संरचना का स्थायी प्रकृति की होने की संभावना है। भूमि का आवंटन, लागू किराये या पट्टे के प्रभार के साथ, मामला–दर–मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

3.8.7 जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान में डीआरएस स्टेशन (10 मीटर X8 मीटर) या डीसीयू स्टेशन (13 मीटर X 18 मीटर) के लिए भूमि के विशिष्ट प्रावधान शामिल हो। राज्य सरकार किसी भी स्थान पर पाइपलाइन के साथ सरकारी भूमि को आवंटित करेगी, जिसमें पीएनजी/सीएनजी की लागत को कम किए बिना सीजीडी इकाई की आवश्यकता के अनुसार सड़क के किनारे, सार्वजनिक पार्क, उपयोगिता क्षेत्र, सरकारी परिसर, नगरपालिका वार्डों/गांवों आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो ग्राहकों को ग्लीनर, स्वच्छ ईंधन की ओर आकर्षित करती है।

3.8.8 सीजीडी परियोजना को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, यदि कोई उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो जिला नोडल पदाधिकारी अधिग्रहण या पट्टा समझौतों के माध्यम से उपयुक्त निजी भूमि की पहचान करने और सुरक्षित करने में सहायता करेगा, सभी लागू विनियमों और मानकों का पालन करते हुए सीजीडी परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

3.8.9 नोडल पदाधिकारी संबंधित प्राधिकरण/लाइन विभाग को सीजीडी इकाई के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त सर्वेक्षण के लिए निदेशित करेगी और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संयुक्त सर्वेक्षण भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगा, मौजूदा अवसंरचना पर संभावित प्रभावों का आकलन करेगा, और पर्यावरण नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में तस्वीरों और सुसंगत सहायक दस्तावेज़ीकरण के साथ विस्तृत निष्कर्ष शामिल होने चाहिए।

3.8.10 संबंधित स्थानीय प्राधिकार/संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिला नोडल पदाधिकारी वार्षिक किराया तय करेगा और इकाई को प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए किराया जमा करने और उसके बाद 03 साल के गुणकों में जमा करने के लिए सूचित करेगें।

3.8.11 डीआरएस/एमआरएस/डीसीयू की स्थापना के लिए उपयोग की गयी भूमि के वार्षिक किराए की गणना आवासीय आरक्षित मूल्य या आवासीय डीएलसी (जिला स्तरीय समिति) दर जो उस क्षेत्र में लागू हो जहाँ भूमि अवस्थित है, के 5% पर की जाएगी।"आवासीय आरक्षित मूल्य/आवासीय डीएलसी दर" की समीक्षा हर तीन वर्ष में की जाएगी, जिसमें मुद्रास्फीति के लिए किए गए समायोजन के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किराया उचित बाजार मूल्य को दर्शाता रहे।

3.8.12 सीजीडी इकाई संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को किराया जमा करेगी और जिला नोडल पदाधिकारी को सूचित करेगी।

3.8.13 जिला नोडल पदाधिकारी संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को किराया जमा करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर दबाव विनियमन स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

3.8.14 डीआरएस/एमआरएस/डीसीयू के लिए भूमि खरीदते समय रजिस्ट्रीकरण प्रभार का भुगतान सीजीडी इकाई द्वारा वाणिज्यिक भूमि प्रकार के अनुसार किया जाएगा और भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र (सीयूएल) प्राप्त करने के लिए कृषि से वाणिज्यिक श्रेणी में भूमि के रूपांतरण के लिए कोई और शूल्क लागू नहीं होगा।

3.8.15 डीसीयू के अस्थायी स्थापना के मामले में आवश्यक हो तो अधिकतम 5 वर्ष की अवधि का अल्पकालिक पट्टा, स्टील पाइपलाइन बिछाने तक लागू होगी।

3.8.16 यदि आवेदन जमा करने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुमति नहीं दी जाती है, तो सीजीडी इकाई राज्य नोडल पदाधिकारी के समक्ष मुद्दा उठा सकेगी। राज्य नोडल पदाधिकारी आवेदन का निष्पादन करेगे और 7 दिनों के भीतर आवश्यक अनुमति देने के लिए संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को सिफारिश करेगें।

3.8.17 भूमि के अंतिम आवंटन और वार्षिक किराए के भुगतान के बाद ही पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।

3.8.18 भूमि को 25 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर जैसा है, जहाँ है के आधार पर आवंटित किया जाएगा, इसके साथ आगे विस्तार का प्रावधान होगा ।

3.8.19 किसी विरोध के उत्पन्न होने की स्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य करेगा। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसमें शामिल सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

3.8.20 यदि आवंटी निर्धारित समय के भीतर किराए के प्रभार का भुगतान करने में विफल रहता है, अनुमोदित योजना के विपरीत निर्माण करता है, या उद्योगों के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास भूमि आवंटन को रद्द करने का अधिकार होगा।

3.9. सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि का आवंटन

3.9.1 सीजीडी इकाइयाँ अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में प्राधिकार प्रदान करने से पहले के 8 वर्षों के दौरान पीएनजीआरबी के लिए प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य योजना (एमडब्ल्यूपी) के हिस्से के रूप में सीएनजी खुदरा दुकानों की कुछ निश्चित संख्या स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

3.9.2 जिला नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमुख यातायात गलियारों (न्यूनतम 40 मीटर x 30 मीटर) पर संबंधित शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान में सीएनजी स्टेशनों के लिए भूखंड हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।

3.9.3 सी0एन0जी0 स्टेशन को भूमि का आवंटन जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा। शहर की सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों के भीतर प्रमुख यातायात गलियारों में एमडब्ल्यूपी पूरा करने के लिए आवश्यक भूखंडों को आवंटित किया जाएगा।

3.9.4 सीएनजी स्टेशनों के लिए भूमि के आवंटन का प्रावधान करने हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

3.9.5 शहर/नगर के योजना चरण में सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि/भूखंड को चिह्नित करना और इसे आवास और शहरी परिनियोजन प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

3.9.6 बस स्टैंड के योजना चरण में सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि/भूखंड को चिह्नित करना और इसे परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

3.9.7 **शहरी स्थानीय निकायों की सड़क अवसंरचना में गैस पाइपलाइन अवसंरचना का समावेशन** : शहरी स्थानीय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी और निविदा एसयूआरइ (शहरी सड़कों के निष्पादन के लिए विनिर्देश) के तहत परियोजनाओं सहित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय अन्य उपयोगिताओं के साथ गैस पाइपलाइन अवसंरचना के प्रावधान सदैव शामिल करेंगे।

3.9.8 **भवन योजना के अनुमोदन के समय स्थानीय निकायों द्वारा पीएनजी पाइपलाइनों/नेटवर्क को शामिल करने के प्रावधान** :नगर विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार योजना अनुमोदन चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन अवसंरचना प्रदान करने के लिए उप–नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी। सभी सरकारी आवासों, अतिथि गृहों और कार्यालय भवनों में पीएनजी संयोजकता के प्रावधान होने चाहिए।

3.9.9 बिहार सरकार के सभी आवासीय क्षेत्र के भवन में पीएनजी का उपयोग करेंगे। वास्तुशिल्प डिजाइन चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन अवसंरचना प्रदान करने के लिए सुसंगत भवन उप–नियमों को परिवर्तित किया जाएगा।

3.10. पसंदीदा हरित ईंधन के रूप में सीएनजी/एलएनजी को बढ़ावा देना

3.10.1 परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से सीएनजी/एलएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन के रूप में अपनाना। राज्य परिवहन निगम सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी/एलएनजी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान वैकल्पिक ईंधन बेड़े में नई बसें खरीदते समय और रेट्रोफिटिंग करते समय सीएनजी/एलएनजी बसों को प्राथमिकता देगें। सरकारी विभागों में उपयोग किए जा रहे/लगे वाहनों (कार, बसें, एम्बुलेंस, डिलीवरी वैन, माल वाहक, आदि) को सीएनजी वाहनों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा जहां सीएनजी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

3.10.2 **अधिकृत क्षेत्र में सरकारी भवनों, दूरसंचार सेवा टावरों उद्योगों या अन्य प्रतिष्ठानों में डीजल जनरेटर का गैस जनरेटर के साथसंपरिवर्तन** :दूरसंचार टावर पूरे बिहार राज्य में स्थित हैं और पारंपरिक स्रोतों की बड़ी संख्या में प्राथमिक और बैकअप ऊर्जा खींचते हैं। डीजल जनरेटर सेट बिजली बैकअप के प्रदूषित करने वाले हैं और कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के साथ, एक आसान सा विकल्प उपलब्ध विकल्प डीजल आधारित जनरेटर से प्राकृतिक गैस आधारित जनरेटर पर स्विच करना है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जो कम लागत पर पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करेगें। राज्य स्तरीय समिति उपयुक्त नियमों/विनियमों को लाकर डीजल सेटों को सीएनजी जनरेटरों में संपरिवर्तित करने को सुगम बनाने के लिए कदम उठाएगी।

3.10.3 **गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषणकारी ईंधन पर प्रतिबंध** : औद्योगिक क्षेत्रों को गैस पाइपलाइन संपर्क से जुड़ने के लिए अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन औद्योगिक क्षेत्रों में जहां गैस पाइपलाइन संयोजकता विकसित की गई है, सभी प्रदूषणकारी ईंधन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अनुरूप अनुमोदित ईंधन की एक सूची अपनाई जा सकेगी। प्राकृतिक गैस के अधिक से अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे राष्ट्र को अपनी सीओपी–26 (पार्टियों का सम्मेलन) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

3.10.4 **सीएनजी/एलएनजी अपनाने का अनुश्रवण और प्रोत्साहन** : राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन, सरकारी वाहनों और औद्योगिक क्षेत्रों में सीएनजी/एलएनजी अपनाने की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक अनुश्रवण और रिपोर्टिंग ढांचा स्थापित करेगी। संपरिवर्तन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन किया जाएगा, और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हितधारकों को स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए सीएनजी/एलएनजी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

3.10.5 **विपणन और जागरूकता अभियान** : सीजीडी इकाई जागरूकता अभियानों, इमारतों पर विज्ञापनों और होर्डिंग के प्रदर्शन, राजमार्गों पर सीएनजी दिशा सूचकों के प्रदर्शन के माध्यम से पीएनजी और सीएनजी के लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राहकों से संपर्क करेगी।

3.11. शिकायत निवारण तंत्र

3.11.1 जिला नोडल पदाधिकारी जनता/प्राधिकरण/सीजीडी इकाई द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों की मासिक समीक्षा करेगा।

3.11.2 जनता/प्राधिकरण/लाइन विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत को तीन (03) दिनों के भीतर संबंधित सीजीडी इकाई को अग्रेषित की जाएगी और सीजीडी इकाई इसका समाधान करेगी और प्रत्येक शिकायत के लिए सात (07) दिनों के भीतर जिला नोडल पदाधिकारीको अनुपालन प्रस्तुत करेगी।

3.11.3 सीजीडी इकाइयों द्वारा जिला नोडल पदाधिकारी को दर्ज की गई शिकायतों को तीन (03) दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और संबंधित प्राधिकारी शिकायत का समाधान करेगा और सात (07) दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी को अनुपालन प्रस्तुत करेगा।

3.11.4 आम–जन, संबंधित प्राधिकार या CGD इकाई द्वारा शिकायत दर्ज किये जाने के उपरांत यदि जिला नोडल पदाधिकारी नियत समय सीमा के अंदर इसका निष्पादन नहीं कर पाते है तो ऐसे मामले को State City Gas Monitoring & Cordination Committee (SCGMCC) को समक्ष इस मामले पर पुनः विचार करने एवं उचित सामाधान निकालने हेतु अग्रसारित किया जाएगा।

3.11.5 **विवाद समाधान तत्र** : यदि CGD इकाईयों और बिहार सरकार के किसी लाईन विभाग के बीच या स्वयं CGD इकाईयों के बीच किसी मामले पर शहरी गैस वितरण नीति के कार्यान्वयन,

संचालन या व्याख्या के संबंध में असहमति या मतभेद उत्पन्न होने पर CGD नीति के तहत सभी पक्ष सर्वप्रथम अनौपचारिक बात–चीत के माध्यम से मामले को शांतिपूर्ण समाधान या समझौता का हर संभव प्रयास करेगें। यदि आपसी सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की सूचना दिये जाने के तीस दिनों के अंदर सभी सम्बद्ध पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बनती है तो मामले को मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जाएगा। सभी पक्षों कीं आपसी सहमति से एक नियुक्त मध्यस्थ के पास विवाद को भेजा जाएगा। यदि सभी संबंद्ध पक्ष तीस दिनों के अंदर किसी एक मध्यस्थ की नियुक्ति में असफल होते है तो सचिव, विधि विभाग मध्यस्थ की नियुक्ति करेगे।

Arbitration and conciliation act 1996 और इस संबंध में समय–समय पर संशोधित नियमों के आलोक में मध्यस्थ कार्यावाही संचालित करेगे। मध्यस्थ द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, जिसपर लागू कानून के अंतर्गत विधिक उपचार उपलब्ध होगा। मध्यस्थ का स्थान पटना, बिहार में होगा और समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

3.12. कार्य स्थल पर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था

3.12.1 सीजीडी इकाई गैस पाइपलाइन बिछाने से संबंधित स्थापन, उपरांत–स्थापन, रखरखाव और अन्य गतिविधियों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करेगी। यह नदियों और नहरों पर क्रॉसिंग सहित संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां भी लागू करेगी। निष्पादन के दौरान या उसके बाद जीवन या संपत्ति के किसी भी दुर्घटना या क्षति की स्थिति में, सीजीडी इकाई लागू विनियमों के अनुसार मामले पर ध्यान देने और उसका हल करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी के साथ सहयोग करेगी।

3.12.2 **आवश्यक सेवाओं की बहाली** : आवश्यक सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, दूरसंचार लाइनों या बिजली की आपूर्ति के नुकसान की स्थिति में, संबंधित सीजीडी इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जीर्णोद्धार के लिए किए गए सभी खर्च संबंधित सीजीडी इकाई द्वारा वहन किए जाएँगे। संबंधित राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों या राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित जीर्णोद्धार लागत के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

गैस पाइपलाइन रिसाव, क्षति, या अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए सीजीडी इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों (ईआरवी) को परिवहन विभाग द्वारा तत्काल

प्रतिक्रिया की सुविधा सुगम बनाने और देरी को कम करने के लिए आपातकालीन वाहनों के रूप में पदनामित किया गया माना जाएगा।

3.12.3 **सुरक्षा मानकों का अनुपालन** : सीजीडी इकाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित सभी सुरक्षा मानकों और उपायों का पालन करेगी, जैसा कि एनओसी, अनुमोदन या मंजूरी के निबंधन और शर्तों में उल्लेखित है। सड़क पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना के बाद स्थापित कोई भी उपयोगिता, लागू मानदंडों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ गैस पाइपलाइन से सुरक्षित दूरी पर स्थापित की जाएगी। यदि गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले मौजूदा उपयोगिताएँ पूर्व से मौजूद हैं, सीजीडी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि पाइपलाइन को विहित मानकों के अनुपालन में पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ स्थापित किया जाए।

3.12.4 **सार्वजनिक उपयोगिता की स्थिति और नोटिस का प्रदर्शन** : सीएनजी मोबाइल कैस्केड वाहक वाहनों को सार्वजनिक उपयोगिता वाहनों के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीजीडी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कार्य स्थल पर उचित नोटिस प्रदर्शित किए जाएँ।

3.12.5 **ओपन–कट प्रणाली दिशानिर्देश** : जब गैस पाइपलाइन को ओपन–कट प्रणाली का उपयोग करके बिछाया जाना हो, तो क्षेत्र को ठीक से बैरिकेड किया जाना चाहिए, और पर्याप्त शोरिंग (टेकबन्दी) प्रदान की जानी चाहिए। काम इस तरह से किया जाना चाहिए कि यातायात में व्यवधान कम से कम हो। आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सड़क सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

3.12.6 **दुर्घटनाओं, क्षति और अनधिकृत हस्तक्षेप के लिए दायित्व** : सीजीडी इकाई को गैस पाइपलाइन नेटवर्क के निष्पादन या संचालन के दौरान अपने कार्यों, चूक या लापरवाही के परिणामस्वरूप किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसी अनधिकृत व्यक्ति या इकाई द्वारा गैस पाइपलाइन या संबंधित प्रतिष्ठानों को नुकसान की स्थिति में, सीजीडी इकाई एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकेगी जिससे पुलिस को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

पीएनजी प्रणाली में कोई भी अनधिकृत छेड़छाड़ या परिवर्तन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच के अधीन होगा, और यदि उपभोक्ता के कारण ऐसा होना पाया जाता है, तो दायित्व उनके उपर रहेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना निष्पादन या O&M क्रियाकलापों के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा सीजीडी कर्मियों को हुई किसी भी बाधा, उपद्रव या नुकसान को सार्वजनिक

उपयोगिता सेवा संचालन के खिलाफ अपराध माना जाएगा और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत समाधान किया जाएगा।

3.12.7 आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधनः–जिला प्राधिकार संबंधित में CGD इकाईय के सहयोग से जो उस भौगोलिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। सहयोग से आपदा प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन संबंधी नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह योजना गैस पाईप लाईन के रिसाव/क्षतिग्रस्त होने को संभावित खतरे से विशेषतः ध्यान देगा। इस तरह की आकिस्मिकता की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकार और CGD इकाई वर्ष में कम से कम एक बार संयुक्त रूप से अभ्यास करेगें।

3.13. सीजीडी अवसंरचना अनुमोदन के लिए एकल–खिड़की ऑनलाइन पोर्टल :

शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, अगले छह महीनों के भीतर सीजीडी इकाइयों द्वारा एक एकल–खिड़की ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा। यह पोर्टल सीजीडी अवसंरचना विकास से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा।

यह ऑनलाइन प्रणाली अपर जिला नोडल पदाधिकारी और जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा सीएनजी स्टेशनों के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) अनुमति और भूमि आवंटन सहित जिला स्तर पर विभिन्न अनुमतियां प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।

जिला और राज्य दोनों स्तरों पर सभी संबंधित हितधारकों के पास एक कुशल, पारदर्शी और संरचित अनुमोदन कार्यप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी गई भूमिका–आधारित अनुमतियों के साथ पोर्टल तक पहुंच होगी।

3.14. नीतियों में पुनरीक्षण :

3.14.1 राज्य स्तरीय शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसीसी) की अनुशंसा के आलोक में नीतियों के किसी बिन्दुओं में सुधार करने अथवा संशोधन करने का अधिकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित होगा।

3.14.2 दरों को पुनरीक्षित/समायोजित करने, पीजीबी दर, पट्टा के नियम एवं शर्तों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा।

3.14.3 राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि–15.07.2025 से यह नीति लागू होगा।

बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 के हिन्दी के अधिसूचना प्रारूप में व्याख्यात्मक अंतर होने पर अंग्रेजी का अधिसूचना प्रारूप ही अंतिम रूप से मान्य होगा।